

such area as the Governor may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors, as he may deem fit, specify, by public notification for the purposes of this Act]

1[(3) [***]

2[5-A. Power of Governor to include or exclude certain area -- (1) The Governor may by notification in the gazette, declare the intention to include within or exclude from the limits of a municipal area, any specified area.

(2) If the local authority having jurisdiction in the said area or any person resident therein, objects to such declaration, such authority or person may submit an objection in writing to the Collector within a prescribed period and the Governor shall take such objection into consideration.

(3) When the said period has expired and the Governor has considered the objection under subsection (2), the Governor may by notification include within or exclude from the limits of a municipal area, any specified area:

Provided that when an area is excluded from the limits of any municipal area, such area notwithstanding such exclusion shall

जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

1[(3) [***]

2[धारा 5-क. कृतिपय क्षेत्रों को सम्मिलित या अपवर्जित करने की राज्यपाल की शक्ति :- (1) राज्यपाल, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने या नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित करने का आशय घोषित कर सकेगा।

(2) यदि उक्त क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या उसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा पर आपत्ति करता है तो ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति विहित कलावधि के भीतर कलेक्टर को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और राज्यपाल ऐसी आपत्ति पर विचार करेगा।

(3) जब उक्त कालावधि का अवसाम हो जाए और उपधारा (2) के अधीन आपत्ति पर राज्यपाल ने विचार कर लिया है तो राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित कर सकेगा या नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित कर सकेगा:

परन्तु जब कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित कर दिया गया है तो ऐसे अपवर्जन के होते हुए भी ऐसा क्षेत्र तब

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित एवं अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा विलीनित (21.4.1997 से प्रभावी)।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 30.5.1994 से प्रभावी)।

अधीशक

शाखा 02

नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
निवास विभाग मंत्रालय
भोपाल (म.प्र.)

continue to be within the limits of the municipal area until the area so excluded is included in a duly constituted Panchayat area.]

तक उस नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर बना रहेगा जब तक कि इस प्रकार अपवर्जित किए गए क्षेत्र को सम्यक् रूप से गठित पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता है।]

टिप्पणी

आपत्तियों पर कलेक्टर विचारण नहीं कर सकता एवं विनिश्चय पारित नहीं कर सकता है। आपत्तियाँ राज्यपाल के समक्ष रखी जानी चाहिए। अभिनेश मदोरे एवं अन्य बनाम म. प्र. राज्य एवं अन्य, 2015 (1) एम. पी. एल. जे. 428 = 2014 (III) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 93.

6. Procedure for publication of notifications -- Every notification under Section 5 [or Section 5-A] shall be published in the Official Gazette and in at least one Hindi newspaper having circulation in the area to which it relates and also by posting a copy thereof

6. अधिसूचना के प्रकाशन के लिए प्रक्रिया -- धारा 5 के अधीन [या धारा 5-क के अधीन] की प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में तथा कम से कम एक ऐसे हिन्दी समाचार पत्र में, जो उस क्षेत्र में जिससे कि वह संबंधित है, परिचालन में हो, प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि -

- in a conspicuous place in the office of the Collector;
- in a conspicuous place in the office of the Municipality, if any, affected by the notification; and
- in such conspicuous places in the area affected by the notification as the Collector may deem fit.

- (क) कलेक्टर के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में;
- (ख) अधिसूचना द्वारा प्रभावित नगरपालिका, यदि कोई हो, के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में; और
- (ग) अधिसूचना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में ऐसे सहजदृश्य स्थानों में, जैसा कि कलेक्टर उचित समझे;

लगाकर भी प्रकाशित की जाएगी।

7. Effect of establishing Municipality for local area which ceases to be Town Area or Panchayat -- When any local area ceases to be a Town Area under the Bhopal State Town Area Act, 1954 (XIV of 1954), or a Panchayat under the Panchayat Law and immediately following such cessation a Municipality is established under Section 5 for such area, then, as from the date of

7. ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जो नगर क्षेत्र या पंचायत न रह जाए, नगरपालिका स्थापित करने का प्रभाव -- जब कोई स्थानीय क्षेत्र भोपाल स्टेट टाउन एरिया एक्ट, 1954 (क्रमांक 14 सन् 1954) के अधीन नगर क्षेत्र या पंचायत विधि के अधीन पंचायत न रह जाए और ऐसी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका धारा 5 के अधीन स्थापित कर दी जाए, तो नगरपालिका की स्थापना की

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 30.5.1994 से प्रभावी)।

अधीक्षक

श.सं. 02
नगरीय प्रशासन एवं विकास

अनुभाष अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय